

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शालिया - - - - -)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 318/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27.9.2025



क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>शालिया</u>	<u>203</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुत्ताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p>		<p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शालिया</u> प.ह. <u>शालिया</u> खतासं. <u>203</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर निवेदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसिलदार	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला- चितौड़गढ

तहसिलीदार कपासन